

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/286
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00187
CICOM/R/2019/00721

दिनांक: 05.12.2019

अपीलकर्ता : श्री रमाकान्त श्रीवास्तव,
711-बी, मोहदीपुर, गोरखपुर,
उत्तर प्रदेश - 273008.

निर्णय की तारीख: 05.12.2019

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	19 सितम्बर, 2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	14.10.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री के. एल. दास
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	21.10.2019
प्रथम अपील आवेदन की डायरी सं.	18522/24.10.2019

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 19 सितम्बर, 2019 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डल कार्यालय, गोरखपुर के विरुद्ध संस्थित अधिनियम की धारा 19(3) के अपीलों में माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा VC के माध्यम से की जाने वाली सुनवाई में दिनांक 01.01.2006 से लेकर आज तक उपस्थित हुए सभी FAA का नाम, पदनाम का विवरण सहित सूचनाएं एवं तद्सम्बन्धी समस्त अभिलेखों की पठनीय एवं प्रमाणित प्रति की मांग की गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री के. एल. दास, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है।

2. संबंधित संचिका (आर.टी.आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 19 सितम्बर, 2019 के उक्त संदर्भित आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर में श्री के. एल. दास, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 14.10.2019 को प्रेषित सूचना से अधोहस्ताक्षरी पूर्णतः सहमत हैं तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

शान्ति प्रिय बेक
(शान्ति प्रिय बेक)

अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।
2. Sh. K. L. Das, CPIO & DO to IC (BJ), CIC, New Delhi.

06/12/19

श्री

श्री

